SAVE SAL TREE SAVE JHARKHAND

Annexure-

कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

मोहनपुर, पोस्ट–पचम्बा, जिला–गिरिडीह, पीन कोड–815316
email-dfogir@ymail.com, Phone No.-06532-222127

Annex-5.

पत्रांक– 2442 दिनांक– 01-12-2017

सेवा में,

श्री बालाजी इन्डस्ट्रीयल इन्जिनियरिंग लि0,
बस्ती रोड,
पो0– बाराजामदा,
जिला– पश्चिमी सिंहभूम,
झारखण्ड–833221

विषय – मौजा– सेमरकोढ़ी, थाना–पीरटांड़, थाना न0–43, खाता न0–45, प्लौट न0–51,52,53,56 एवं 58 रकबा–4.11 एकड़ के संबंध में।

प्रसंग – आपका आवेदन दिनांक–21.11.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग में सूचित करना है कि विषयोक्त आवेदित स्थल का प्रमण्डलीय अभिलेख यथा–डीमारकेशन पंजी, नोटिफिकेशन एवं कैडस्ट्रल मैप से प्रमण्डलीय अमीन द्वारा मिलान की गई। अंचलाधिकारी, पीरटांड़ द्वारा निर्गत भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र एवं दिनांक–26.11.2017 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि आवेदित भूमि मौजा– सेमरकोढ़ी, थाना–पीरटांड़, थाना न0–43, खाता न0–45, प्लौट न0–51,52,53,56 एवं 58 रकबा–4.11 एकड़ भूमि वन सीमांकित वन सीमा से बाहर है तथा क्षतिपूरक वनरोपण के लिए उपयुक्त है। जिसका विवरण निम्नवत है। प्रस्तावित गैर–वनभूमि का प्रतिहस्ताक्षरित्त ट्रेसिंग मैप इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

मौजा का नाम	थाना/थाना न0	खाता न0	प्लौट न0	रकबा (एकड़ में)		
				खतियान में अंकित रकबा	सीमांकित वन भूमि का रकबा	सीमांकित वन सीमा से बाहर का रकबा
1	2	3	4	5	6	7
सेमरकोढ़ी	पीरटांड़–43	45	51	1.31	0.24	1.07
			52	2.21	1.70	0.51
			53	1.43	0.53	0.90
			56	1.19	0.24	0.95
			58	0.78	0.10	0.68
			कुल–	6.92	2.81	4.11

1. यह प्रमाण पत्र मात्र क्षतिपूरक वनरोपण के लिए दिया जा रहा है।
2. विषयोक्त भूमि वन विभाग को हस्तांतरण के समय उक्त रकबा में भिन्नता होने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण की होगी।
3. विषयोक्त भूमि वन विभाग को हस्तांतरण के समय उक्त भूमि से संबंधित राजस्व विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र समर्पित करना आवश्यक होगा।
4. विषयोक्त भूमि वन विभाग को हस्तांतरण के समय स्थल के प्रत्येक मोड़ पर वन विभागीय माप–दण्ड के अनुरूप पक्का पीलर एवं प्रत्येक पीलर का जी0पी0एस0 कॉऑर्डिनेट प्रत्येक पीलर पर अंकित करना अनिवार्य होगा।
5. विषयोक्त भूमि वन विभाग को हस्तांतरण के समय किसी भी प्रकार का भू–विवाद एवं अतिक्रमण मुक्त रहने पर ही क्षतिपूरक वनरोपण के लिए स्वीकार किया जायगा।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

01/12/17

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

कार्यालय वन प्रमण्डल पदाधिकारी गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल

FCA-2\NOC\Balaji Industries

Shri Balaji Industrial Engineering Ltd.

Authorised Signatory

989